संख्या–वे0आ0–2–31/दस–2010–54(एम)/2008 टी0सी0

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) अभियन्त्रण विभागों के समस्त विभागाध्यक्ष एवं
प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2010

विषयः– वेतन समिति, उ0प्र0 (2008) के छठे प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2006 से पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिये वेतन समिति (2008) का गठन संकल्प संख्या–वे0आ0–2–870/दस–34(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 29 अगस्त 2008 सपठित संकल्प संख्या–वे0आ0–2–824/दस–34(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक 22 अगस्त 2008 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा छठे प्रतिवेदन के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ संकल्प संख्या–वे0आ0–2–30/दस–2010–54(एम)/2008 टी0सी0 दिनांक: 14 जनवरी, 2010 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2– वेतन समिति के छठे प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों को उपर्युक्तानुसार स्वीकार कर लिये जाने के फलस्वरूप राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों को दिनांक 01 जनवरी 2006 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड/वेतनमान एवं ग्रेड वेतन अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3– दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :–

(क) ऐसे कार्य प्रभारित कार्मिकों जिनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य मंहगाई भत्ते की धनराशि को शासन की सहमति से मँहगाई वेतन के रूप में परिवर्तित किया गया है, के लिये पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण की वही प्रकिया रखी जायेगी जो राजकीय कर्मचारियों के लिए निर्धारित है।

(ख) ऐसे कार्य प्रभारित कार्मिकों जिनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य मँहगाई भत्ते की धनराशि को मँहगाई वेतन में परिवर्तित नहीं किया गया है, अथवा जिनके मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य मँहगाई भत्ते की धनराशि को मँहगाई वेतन में शासन की अनुमति के बिना परिवर्तित किया गया है, का पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नवत् किया जायेगा :–

"दिनांक 01–01–2006 को वर्तमान वेतनमान में अनुमन्य मूल वेतन की 186 प्रतिशत धनराशि सादृश्य पुनरीक्षित वेतन बैण्ड में वेतन के रूप में निर्धारित की जायेगी। उक्त धनराशि तथा सादृश्य ग्रेड वेतन के योग को पुनरीक्षित वेतन संरचना में मूल वेतन माना जायेगा।"

4— पुनरीक्षित वेतन संरचना में वार्षिक वेतन वृद्धि की दर एक समान 03 प्रतिशत तथा वेतन वृद्धि की तिथि समान रूप से सभी के लिए 01 जुलाई रखी जायेगी।

5— वेतन समिति के छठे प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों लागू होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतन संरचना में कार्य प्रभारित कर्मचारियों को ऐसे भत्ते/सुविधायें यथा—मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिकर भत्ता आदि पुनरीक्षित वेतन संरचना में राज्य कर्मचारियों के लिये अनुमन्य दरों के अनुसार उन्हीं तिथि से देय होंगे, जैसा कि राज्य कर्मचारियों को अनुमन्य कराया गया है।

6— पुनरीक्षित वेतन संरचना में उपरोक्तानुसार वेतन निर्धारण के फलस्वरूप देय वेतन का नकद भुगतान दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से किया जायेगा तथा देय अवशेष के 60 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2009—10 तथा 40 प्रतिशत का भुगतान वित्तीय वर्ष 2010—11 में किया जायेगा। वित्तीय वर्ष 2010—11 में देय 40 प्रतिशत अवशेष का आहरण दिनांक 01 अक्टूबर, 2010 के पूर्व नहीं किया जा सकेगा।

7— विभिन्न विभागों के अन्तर्गत विद्यमान सार्वजनिक उपकम/निगम, स्वशासी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों, जल संस्थान, जिला पंचायत एवं विकास प्राधिकरणों के कार्य प्रभारित कार्मिकों के लिये इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्था स्वतः लागू नहीं होगी। उक्त श्रेणी के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के सम्बन्ध में यथा आवश्यक आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

8— इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्था के अन्तर्गत राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कर्मचारियों के वेतनमान उपरोक्त प्रस्तरों के अधीन संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित माने जायेंगे और इनके लिये शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,

संलग्नक—यथोपरि।

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

संख्या—वे0आ0—2—31(1)/दस—2010—54(एम)/2008 टी0सी0 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार लेखा एवं हकदारी—I एवं II तथा आडिट— I एवं II, उ0 प्र0 इलाहाबाद।
2— प्रमुख सचिव श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
5— निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
6— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8— गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–31/दस–2010–54(एम)/2008 टी0सी0
दिनांकः 18 जनवरी, 2010 का संलग्नक।

क्रम सं0	वर्तमान वेतनमान	पुनरीक्षित वेतन संरचना		
		वेतन बैण्ड/वेतनमान का नाम	सादृश्य वेतन बैण्ड/वेतनमान	सादृश्य ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1	2550–55–2660–60–3200	–1 एस	4440–7440	1300
2	2610–60–3150–65–3540	–1 एस	4440–7440	1400
3	2650–65–3300–70–4000	–1 एस	4440–7440	1650
4	2750–70–3800–75–4400	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1800
5	3050–75–3950–80–4590	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	1900
6	3200–85–4900	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2000
7	4000–100–6000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2400
8	4500–125–7000	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
9	4500–125–7250	वेतन बैण्ड–1	5200–20200	2800
10	5000–150–8000	वेतन बैण्ड–2	9300–34800	4200

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

पी0एस0यू0पी0 ए0पी0 85 सा0 वित्त–21–1–2010–(2083)–5,000 प्रतियां (क0/टी0/ऑ0)।